भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 422
बुधवार, दिनांक 27 नवम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने हेतु

रूफटॉप सोलर सिस्टम की उपलब्धता

422. श्रीमती साजदा अहमदः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना (पीएम-एसजीएमबीवाई) के अंतर्गत रूफटॉप सोलर सिस्टम की समानरूप से उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) डिस्कॉम के लिए नवीकरणीय ऊर्जा की खरीद संबंधी जवाबदेही को समाप्त करने के क्या कारण हैं और यह भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को किस प्रकार प्रभावित करता है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत डिस्कॉम और उपभोक्ताओं को नवीकरणीय ऊर्जा की ओर ले जाने में मदद करने के लिए स्थापित किए गए तंत्रों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को लक्षित या सूचीबद्ध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) पीएम-सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर सिस्टम तक समान रूप से पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, इस योजना को राष्ट्रीय पोर्टल (https://www.pmsuryaghar.gov.in) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है, जहां देश के किसी भी हिस्से में रूफटॉप सौर (आरटीएस) संयंत्र स्थापित करने के इच्छुक सभी आवासीय उपभोक्ता पंजीकरण कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, विक्रेताओं का चयन कर सकते हैं, स्थापना की दर पर आपसी सहमति से निर्णय ले सकते हैं और संबंधित बिजली वितरण कंपनी द्वारा प्रणाली के उचित अनुमोदन और निरीक्षण के बाद, उपभोक्ता अपने बैंक खाते में सीधे सब्सिडी प्राप्त करने के पात्र होंगे।

इसके अलावा, मंत्रालय प्रचार के लिए विभिन्न चैनलों के माध्यम से योजना के बारे में जागरूकता पैदा कर रहा है, जिसमें सार्वजनिक अभियान, जैसे सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, टेलीविजन, रेडियो जिंगल्स, नुक्कड़ नाटक और घर-घर अभियान आदि शामिल हैं।

(ख) डिस्कॉमों के लिए अक्षय ऊर्जा की खरीद संबंधी जवाबदेही को समाप्त नहीं किया गया है।

(ग) पीएम-सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना के तहत डिस्कॉमों और उपभोक्ताओं को अक्षय ऊर्जा की ओर परिवर्तन हेतु मदद करने के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

- रूफटॉप सौर की स्थापना द्वारा 1 करोड़ घरों को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त/कम लागत वाली बिजली उपलब्ध कराने में मदद के लिए बेंचमार्क लागत के 60 प्रतिशत तक केंद्रीय वित्तीय सहायता।
- कुल मिलाकर 75,021 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता।
- रूफटॉप सौर को बढ़ावा देने के लिए डिस्कॉमों को प्रोत्साहन।
- राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से, पंजीकरण से लेकर आवासीय उपभोक्ता के बैंक खाते सब्सिडी के सीधे वितरण तक की ऑनलाइन प्रक्रिया।
- देश में विनियामक सहायता, विनिर्माण सुविधाएं, आपूर्ति श्रृंखला, वेंडर नेटवर्क, प्रचालन और रखरखाव सुविधाएं आदि सहित रूफटॉप सौर परियोजनाओं के लिए आवश्यक सक्षम इकोसिस्टम का विकास।
- आवासीय आरटीएस की स्थापना और स्थानीय तौर पर संघठित प्रयासों के लिए शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) और पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को प्रोत्साहन।
- अभिनव परियोजनाओं के लिए समर्थन।
- प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम के माध्यम से कुशल जनशक्ति (मैनपावर) तैयार करना।
- योजना में भाग लेने के लिए विद्युत उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता पैदा करना।

(घ) और (ङ): पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना देश के सभी आवासीय उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध है और इस योजना के तहत लक्षित 1 करोड़ घरों का कोई राज्य-वार आवंटन नहीं किया गया है। आवासीय उपभोक्ता राष्ट्रीय पोर्टल https://www.pmsuryaghar.gov.in पर योजना के तहत रूफटॉप सौर संयंत्र की स्थापना के लिए पंजीकरण और आवेदन कर सकते हैं।

पश्चिम बंगाल राज्य सहित योजना के तहत किए गए कुल पंजीकरण, आवेदन और स्थापनाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

अनुलग्नक

'रूफटॉप सोलर सिस्टम की उपलब्धता' के संबंध में पूछे गए दिनांक 27.11.2024 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 422 के भाग (घ) और (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पीएम-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (पीएमएसजीः एमबीवाई) के तहत किए गए कुल पंजीकरण, आवेदन और स्थापनाओं का राज्य-वार/संघ-राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

(दिनांक 21.11.2024 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य	पंजीकरण (सं.)	आवेदन (सं.)	स्थापना (सं.)
1	आन्ध्र प्रदेश	629,934	71,064	6,357
2	अरुणाचल प्रदेश	1,185	83	-
3	असम	1,733,942	265,683	2,659
4	बिहार	931,650	53,129	2,186
5	छत्तीसगढ़	228,979	24,507	720
6	गोवा	10,344	4,153	322
7	गुजरात	1,183,828	310,845	281,769
8	हरियाणा	434,114	146,693	13,853
9	हिमाचल प्रदेश	152,594	3,825	385
10	झारखंड	250,922	5,888	68
11	कर्नाटक	500,949	103,917	4,919
12	केरल	246,515	85,316	51,301
13	मध्य प्रदेश	526,469	42,884	17,942
14	महाराष्ट्र	1,601,338	481,206	120,696
15	मणिपुर	2,551	539	60
16	मेघालय	7,866	1,434	14
17	मिजोरम	2,981	547	47
18	नागालैंड	1,191	232	5
19	ओडिशा	1,267,637	74,710	984
20	पंजाब	117,735	9,608	3,506
21	राजस्थान	491,355	200,036	18,022
22	सिक्किम	421	27	1
23	तमिलनाडु	965,111	74,364	19,255
24	तेलंगाना	119,226	18,683	7,153
25	त्रिपुरा	9,894	963	76
26	उत्तर प्रदेश	2,223,461	534,529	51,313
27	उत्तराखण्ड	146,546	25,395	9,074
28	पश्चिम बंगाल	355,580	24,913	236
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	999	72	1
30	चंडीगढ़	4,700	878	271
31	दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव	4,382	144	32
32	जम्मू और कश्मीर	288,129	8,160	288
33	लद्दाख	2,977	380	134
34	लक्षद्वीप	660	269	69
35	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	22,966	6,504	1,879
36	पुडुचेरी	19,434	955	422
	कुल	14,488,565	2,582,535	616,019

*****